रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112025-267991
CG-DL-E-27112025-267991

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5250] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/ अग्रहायण 5, 1947
No. 5250] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/ AGRAHAYANA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5428(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 1468 तारीख 27 March 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले के गाँव-थिम्मापालले ,तालुक-गुडीपला मे NE-7 के कि.मी. 74.87 से कि.मी.164.5 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 13.04.2025 को "आंध्र प्रभा" और "हिंदू" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले के गाँव- थिम्मापालले, तालुक-गुडीपला मे NE-7 के कि.मी. 74.87 से कि.मी. 164.5 के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: चित्तूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गुडीपला					
गांव का नाम: थिम्मापालले					
1	153/1ए2	निजी (डीकेटी)	ड्राय	0.04047	सी ऍस् सुब्रमण्यम ऍस्/ओ सी.कृष्णमा नाइडू 153/1A2
			Total	0.04047	

[फा. सं. NHAI/11013/3(a)-Notif./PIU-Krishnagiri/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5428(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway, S.O. 1468 Dated:27 March 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NE-7 in the stretch of land from Km. 74.87 to Km. 164.5 (Joint Collector, Chittoor & CALA, Bangalore Chennai Expressway, Collectorate Compound, Ambedkar Bhavan, 2nd Floor, Chittoor) in the village namely Thimmaiahpalle of Gudipala Taluk in the district of Chittoor in the state of ANDHRA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Andhra Prabha" in Telugu Language and "The Hindu" in English both dated 13.04.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NE-7 in the stretch of land from Km. 74.87 to Km. 164.5 in the village namely Thimmaiahpalle of Gudipala Taluk in the district of Chittoor in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			**District: Chittor**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Gudipala					
Village: Thimmaiahpalle					
1	153/1A2	Private (DKT)	Dry	0.04047	C S Subramanyam S/o C.Krishnama Naidu 153/1A2
			Total	**0.04047**	

[F. No. NHAI/11013/3(a)-Notif./PIU-Krishnagiri/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.11.27 14:30:50 +05'30'